सं0-04/2019/1141/62-2-2019-2/3(18)/2018

प्रेषक,

अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 14 जून, 2019

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन "डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना" (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-143/ल0सिं0/बजट-/Scsp/tsp/2019-20, दिनांक 10.06.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83(एस0सी0एस0पी0) के अधीन संचालित डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख (रू0-दस करोड़ मात्र) श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में एस0सी0एस0पी0 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के निर्माण पर व्यय हेतु है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(3) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-3938/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 20.11.2012 एवं शासनादेश संख्या-4058/62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 14.12.2012 में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाय। सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(6) अति रिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(7) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2019 तक
3-व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण्	15-12-2019 तक
4-वर्ष 2019-20 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2020 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2020 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2020 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-02-भू-जल-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1/2019/बी-01-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीया,
(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-04/2019/1141(1)/62-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रेदश।
5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (विकास)/ जिला विकास अधिकारी।
6- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।